

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

// विविध कार्यालयीय आदेश //

क्रमांक-क्यू/दो-22-2/ओ.एम./2024

भोपाल, दिनांक-30/05/2024

इस न्यायिक जिला स्थापना पर कार्यरत उप-प्रशासनिक अधिकारी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को उनके नाम के सम्मुख दर्शित अवधि के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं सार्वजनिक अवकाश मय मुख्यालय अनुमति सहित इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि वे स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त किसी भी कारणवश अवकाश अवधि को आगे नहीं बढ़ायेंगे एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि की निरन्तरता में अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।

क्र.	कर्मचारी का नाम	स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि	रिमार्क
1	श्री संजय ओझा, उप-प्रशासनिक अधिकारी	दि. 24.06.2024 से 28.06.2024 तक मय मु.अनु.	अन्तरमण्डलीय स्थानांतरण से दि. 27.05.2024 को भोपाल स्थापना पर कार्यभार ग्रहण किया गया
2	श्री नारायण प्रसाद सोनी, लेखापाल	दि. 10.06.2024 से 14.06.2024 तक मय मु.अनु.	कुटुम्ब न्यायालय से स्थानांतरण से दि. 27.05.2024 को भोपाल स्थापना पर कार्यभार ग्रहण किया गया
3	श्री के.वर्गीस मैथ्यु, रीडर ग्रेड-1	दि. 18.06.2024 से 22.06.2024 तक	विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने पर वांछित ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि चेतावनी सहित स्वीकृत।

3865

पृष्ठांकन क्रमांक...../दो-22-2/ओ.एम./2024

प्रतिलिपि-

01.....

(समस्त न्यायालय भोपाल/बैरसिया)

02.-प्रभारी अधिकारी कार्यालय/नजारत/प्रतिलिपि/मालखाना/कम्प्यूटर/ग्रंथालय/सांख्यिकी/अभिलेखाग्र अनुभाग भोपाल,

03.-प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, तहसील न्यायालय बैरसिया जिला भोपाल, म.प्र.

04.-रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, भोपाल, म.प्र.

05.-जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, भोपाल, म.प्र.

06.-प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल, म.प्र.

07.-प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय भोपाल की ओर उपरोक्त कर्मचारीगण को ई-मेल के माध्यम से तथा कोर्ट की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु संबंधित कर्मचारी को निर्देशित करने हेतु प्रेषित।

हेतु-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल, (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 30/05/24

हेतु-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल, (म.प्र.)